बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

सं0सं09/सा0आ0–360/2003 /स्वा0/पटना,दिनांक . / डा0 राजेन्द्र प्रसाद सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुमारीपुर, बरमसिया, दुमका पुनः चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा0 स्वा0 केन्द्र नाथनगर, भागलपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त को विभागीय अधिसूचना सं0 1363(18) दिनांक 30.11.1995 के द्वारा एम0 एस0 डी0 कलकत्ता से दवा क्रय के आरोप में निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प सं0 1608(18) दिनांक 28.10.1996 के द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

2. संचालन पदाधिकारी के द्वारा समर्पित अधिगम एवं समीक्षा के आधार पर विभागीय अधिसूचना संख्या 943(18) दिनांक 07.09.1998 द्वारा निम्न दंड अधिरोपित किया गया है:–

(क) निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।

(ख) वेतन से रू0 2,09,237/– (दो लाख नौ हजार दो सौ सतीस रूपये) की कटौती किस्तों में की जायगी।

(ग) पॉच वर्षो के लिए प्रोन्नति से वंचित किया जाता है।

(घ) अनुमान्य तीन वेतनवृद्धि स्थायी रूप से (संचयात्मक प्रभाव) से रोकी जाती है।

(ड.) निंदन की सजा दी जाती है।

3. उक्त दण्डादेश के विरूद्ध डा0 राजेन्द्र प्रसाद सिंह के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में सी0 डब्लू0 जे0 सी0 सं0 4456/1990 दायर किया गया जिसमें माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा 18.08.2000 को पारित आदेश में कारणपृच्छा समर्पित करने के लिए वादी को कहा गया, जिसपर विभागीय निर्णय लेते हुए आदेश पारित करने का निदेश था।

4. डा0 सिंह के द्वारा समर्पित कारणपृच्छा को अस्वीकृत करते हुए मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरान्त विभागीय संकल्प सं0 1245(9) दिनांक 30.07.2000 के द्वारा आरोपी डा0 राजेन्द्र प्रसाद सिंह को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

5. वादी द्वारा अपने बर्खास्तगी आदेश के विरूद्ध समादेश याचिका सं0 13627/2004 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 30.10.2006 को न्यायादेश पारित किया गया जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत है:–

"........ this court is of the opinion that the implugned order of punishment contained in Annexure-1 suffer from the voice of the arbitrariness and non-application of mind. The same is accordingly quashed. But the matter is remitted back to the disciplinary authority for passing a fresh order in accordance

with law at any early date, preferably within two months from the date of production/communication of a copy of this order."

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 30.10.2006 को पारित आदेश के आलोक में बर्खास्तगी आदेश को निरस्त करते हुए फिर से निम्नांकित शास्ति अधिसूचित की गई :–

(क) निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।

(ख) वेतन से रू0 2,09,237/– (दो लाख नौ हजार दो सौ सतीस रूपये) की कटौती किस्तों में की जायगी।

(ग) पॉच वर्षो के लिए प्रोन्नति से वंचित किया जाता है।

(घ) अनुमान्य तीन वेतनवृद्धि स्थायी रूप से (संचयात्मक प्रभाव) से रोकी जाती है।

(ङ.) निंदन की सजा दी जाती है।

6. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम 12 में अपील के परिणाम स्वरूप सेवाच्यूति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुनः स्थापन पर सेवा का निरूपण एवं वेतन एवं भत्ते की अनुमान्यता के संबंध में प्रावधान है। इस आलोक में चूँकि, डा0 सिंह को अंततः विभागीय जॉच में दोषी पाया गया है, और वृहद शास्ति दी गई है, अतः बर्खास्तगी अवधि दिनांक 30.07.2004 से दिनांक 21.10.2007 को अवैतनिक अवकाश के रूप में समायोजित किया जाता है, परन्तु इस अवधि को कर्तव्य पर बिताई गई अवधि नहीं मानने का निर्णय लिया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(नागेन्द्र प्रसाद)

सरकार के उप सचिव,

ज्ञापांक 1348(9) /स्वा0, पटना , दिनांक 28/12/2018

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, (ले0 एं0 ह0) बिहार पटना/झारखंड, रॉची/ उप सचिव, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय उप–निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें पूर्णियां प्रमंडल पूर्णियां/दुमका/ भागलपुर/ सिविल सर्जन कटिहार/दुमका/भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– डा0 राजेन्द्र प्रसाद सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुमारीपुर बरमसिया दुमका पुनः चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा0 स्वा0 केन्द्र नाथनगर, भागलपुर सम्प्रति सेवानिवृत पता–ग्राम–मीरपुर, बरियारपुर, मुंगेर, पिन कोड–811211 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वा0 के आप्त सचिव /निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी 2,3,5,7,8,10, 17 एवं 18ए स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

D:\All Letter 2017 SWETA\Notification.docx